ग्राम पंचायत चैल चौक, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चैल चौक, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्रीमती इंद्रा देवी	01.04.2022 से लगातार

सचिव :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	01.04.2022 से 31.10.2023
2	श्री गोपाल सिंह	01.10.2023 से 27.01.2024
3	श्री शेर सिंह	27.01.2024 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चैल चौक के लेखों की अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	02.09

2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	53.06
3	6(क)	गृह कर की वसूली न करना	0.33
4	6(ख) (i)	दुकान किराया की वसूली न करना	0.86
5	8(क)	रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को भुगतान	27.03
6	8(ख)	टीडीएस की कटौती न करके वसूली न करना	0.08
7	09(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.61
8	09(ग)	भुगतान बिलों को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे	0.61
9	09(ङ)	वसूली गई रॉयल्टी की राशि को सरकारी कोष में जमा न करके व्यय करने बारे ।	0.31

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गयी, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट ''क''** पर दर्शाई गई है ।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत चैल चौक, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09-10-2024 से 19-10-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2022-23	**03/23**	**05/22**
2023-24	**04/23**	**02/24**

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा । विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत चैल चौक, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 6400/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-gpchailchowk/19 दिनांक:-19.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत चैल चौक,द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) **स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान:-** ग्राम पंचायत चैल चौक के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	3114782.44	6922619	10037401.44	5489352.2	4548049.24
2023-24	4548049.24	1974974	6523023.24	2339362	4183661.24

(ii) 15 वां वित्त आयोग :- ग्राम पंचायत चैल चौक के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15 वां वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1338273.31	859348	2197621.31	1444844.16	752777.15
2023-24	752777.15	449702	1202479.15	312462.6	890016.55

(iii) 14 वां वित्त आयोग :- ग्राम पंचायत चैल चौक के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 14 वां वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (घ)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	225759.71	5641	231400.71	5500	225900.71
2023-24	225900.71	6376	232276.71	0	232276.71

Bank accounts detail of Gram Panchayat Chail Chowk:-

Bank name	**Account no.**	**Name of head**	**Closing balance as on 31.03.2024**
H.P State cooperative bank,Chail Chowk	33510101375	Grants in aid	3313724.92
H.P State cooperative bank,Chail Chowk	33510101051	Panchayat nidhi	214878.60
H.P State cooperative bank,Chail Chowk	33510107099	MPLAD	216004
H.P State cooperative bank,Chail Chowk	33510107103	MMAY	4426
H.P State cooperative bank,Chail Chowk	33510106226	NRHM	15891
H.P State cooperative bank,Chail Chowk	33510107102	MMGPY	40232
H.P State cooperative bank,Chail Chowk	33510113387	14TH FC	185982.71
H.P State cooperative bank,Chail Chowk	33510114034	IWMP	O
PNB BANK CAHIL CHOWK	0580000105106619	15TH FC	963736.55
PNB BANK CAHIL CHOWK	0580000105056846	IWMP	0
PNB BANK CAHIL CHOWK	0580000105056855	WDF	19304

HDFC BANK CHAIL CHOWK	50100551197291	PLANNING HEAD	144420.58
			5118600.36

बैंक समाधान विवरणी :-		
स्वः स्त्रोत व अनुदान :-		
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष (स्वः स्रोत व अन्य अनुदान, 15 वां वित्त आयोग एवं 14 वां वित्त आयोग)	**5305954.50**	
जमा :- 15 वां वित्त आयोग की रोकड़ वही में ₹ 22526 का ब्याज दर्ज न करना	22526	5305954.50
दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष		5118600.36
अन्तर की राशि		**209880.14**

(iv) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	14409494.12	0	14409494.12	14409494.12	0
2023-24	0	7405419.3	0	7405419.3	7405419.3	0

(v) एसबीएम

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	321074	0	321074	321074	0
2023-24	0	317186	0	317186	317186	0

4.1. रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹02.09 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹209880.14** की राशि का अन्तर पाया गया । अत: मिलान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत कराया जाये ।

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन-देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस–किस कार्य पर कितना–कितना व्यय हुआ है ,तथा इन कार्यों को पूरा किया जा चूका है अथवा नहीं | उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-gpchailchowk/09 दिनांक-10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चैल चौक के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसी2024/15 दिनांक 19.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। अत: अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते

तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना:-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत चैल चौक के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये ।

(ख) अनुदान ₹53.06 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत चैल चौक द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक अनुदान ₹5305954.55 (स्वः स्रोत सहित) की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i),4(ii),4(iii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना:-

ग्राम पंचायत चैल चौक द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. **(क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹ 0.33 लाख की वसूली न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत चैल चौक के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ङ)** अनुसार **₹ 32028** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है की पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) दुकानों के किराए की वसूली में अनियमितताएँ :-

ग्राम पंचायत चैल चौक की दुकानों के किराए से संबन्धित आय का अंकेक्षण करने पर निम्न अनियमितताएँ पाई गयी ।

(i) पंचायत की स्व: स्त्रौतों से प्राप्त आय का, संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दुकान के किराए के रूप में ₹ 85605 /- की राशि वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट-(ङ)** में दिया गया है जिसकी वसूली, अतिशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामीअंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) ग्राम पंचायत के दुकानों के किराए के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत के अधीन कुल 21 दुकानें है जिनका किराया ग्राम पंचायत द्वारा वसूल किया जाता है । सभी दुकानें किराए पर आबंटित की गयी है पड़ताल में पाया गया कि उक्त दुकानदारों के साथ पंचायत द्वारा नवीनीकरण अनुबंध तैयार नहीं किए गए है । अतः सभी किराएदारों/दुकानदारों के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करवाये जाये तथा मासिक किराये में वृद्धि का प्रावधान करते हुए समय समय पर इन अनुबंधों का नवीकरण भी किया जाये ।

(ग) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की वसूली न करना:-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400

अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत चैल चौक द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 800 की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	अन्तर की राशि (₹)
1	दर्ज नहीं किया गया	दर्ज नहीं किया गया	हेम प्रभ सुपुत्र श्री सूरजमणि	07.12.22	04.01.23	200	शून्य	200
2	दर्ज नहीं किया गया	दर्ज नहीं किया गया	दीपिका सुपुत्री श्री रमेश कुमार	05.03.24	11.03.24	200	शून्य	200
3	दर्ज नहीं किया गया	दर्ज नहीं किया गया	हरीश कुमार सुपुत्र श्री यदोपति	25.02.24	14.03.24	200	शून्य	200
4	दर्ज नहीं किया गया	दर्ज नहीं किया गया	किशोर कुमार सुपुत्र श्री लेख राज	05.03.24	14.03.24	200	शून्य	200
							कुल योग	**800**

सचिव ग्राम पंचायत चैल चौक को अंकेक्षण अधियाचना संख्याःडी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/gpchailchowk/08 दिनांक 10.10.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसी-2024/15 दिनांक 19.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नही दोहराया नही जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(घ) भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि:-

प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ(II)-11/2010 दिनांक 29.11.2011 द्वारा भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार अधिसूचित किया गया:

(i) पटवारी अपने वृत्त के सभी राजस्व संपदा के ढाल बछ (Dhal bach) तैयार करेगा तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपेगा।

(ii) ग्राम पंचायत सचिव/सहायक लम्बरदार के माध्यम से या किसी एजेंसी के द्वारा जैसे भी उचित हो, पछोत्रा अदा करके भू-राजस्व की वसूली करवाना सुनिश्चित करेगा।

(iii) पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करेगा जोकि ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत चैल चौक, विकास खण्ड गोहर जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश में भू-राजस्व की जो राशि लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती थी केवल उसे ही पंचायत की आय में जमा करवाया जाता था। भू-राजस्व की राशि प्रति वर्ष प्राप्त नहीं होती बल्कि दो या तीन वर्ष में एक बार ही प्राप्त की गई थी। जांच में आगे यह पाया गया कि प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा था। जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे की यह पता लगाया जाता की पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके। अतः पंचायत सचिव द्वारा प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उक्त अधिसूचना द्वारा जारी आदेशों को अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचायत को अनुवर्ती नुक्सान भी हो रहा है तथा न ही सम्बंधित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी लेखा परीक्षा के दौरान जांच की जाती जो की नियमो के विरुद्ध था।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024/gpchailchowk-06 दिनांक-10.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चैल चौक

के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसी2024/15 दिनांक 19.10.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। जिसे अब हि° प्र° सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग व संग्रहण से संबन्धित अभिलेख संधारित लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा।

7. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचातय द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतगर्त विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत चैल चौक, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फ़र्निचर हीटर व पंखे ही दर्ज की गयी थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नहीं थे। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए केवल 22 कार्यों को इसमें दर्ज नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अन्तर्गत दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जो की गंभीर अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/gpchailchowk-11 दिनांक 11.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चैल चौक के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसी2024/15 दिनांक 19.10.2024 द्वारा में सचिव द्वारा सूचित किया

गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा ।

8 **(क) रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को ₹ 27.03 लाख का भुगतान :-**

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स'या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे **रॉयल्टी** का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन-(आर.डी. एवं पी.आर)-डी.बी.जनरल/2023-1 /204192/2023-34307-30, दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म "एक्स"या "डब्ल्यू" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत चैल चौक द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांज़िट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को संलग्न "**परिशिष्ट -च"** अनुसार ₹2703323.76 का अनियमित भुगतान किया गया । इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/gpchailchowk-16 दिनांक 15.10.2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख). स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.08 लाख की वसूली न करना:-

सचिव, ग्राम पंचायत चैल चौक द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 7880 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	वाउचर संख्या	मद का नाम	भुगतान राशि (excluded gst amount) (₹)	कटौती की दर	राशि (₹)
	सामान्य निधि						
1	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मण्डी	801/15.03.22	20/05.05.22	टिप्पर कैरेज	50000	2.00%	1000
2	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मण्डी	810/08.05.22	30/31.05.22	शटरिंग	154532	2.00%	3091
3	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मण्डी	800/18.03.22	5	जेसीबी कार्य	189486	2.00%	3790
							7880

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/gpchailchowk-16(1) दिनांक-16.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चैल चौक के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसी2024/15 दिनांक 19.10.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.61 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्राविधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि

अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹60543 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या	वाउचर संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	075/02.05.2021	35/31.05.2022	सामान्य निधि	एम/एस एनसीएस कम्युनिकेशन	स्टेशनरी आइटम	4543
2	दर्ज नहीं	153/29.02.2024	सामान्य निधि	जेडीबीटी कम्प्युटर गोहर रोड डाकघर चैल चौक	प्रिंटर	17500
3	4623/04.05.2022	xvfc/2022-23/p/49 दिनांक 19.05.2022	15th fc	जय माँ अंबिका इंडस्ट्री	कूलर	38500
कुल						**60543**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024/gpchailchowk-15 दिनांक 15.10.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत चैल चौक के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसी2024/15 दिनांक 19.10.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है की वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत चैल चौक, विकास खण्ड गोहर जिला मण्डी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बंधित वाउचरो/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्तः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी पारित नही किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल के तहत की गई आदायगी को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्ट्रोलों को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था। अतः संयुक्तः हस्ताक्षरित या अद्याक्षरित अदायगी नियमानुसार पारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./ 2024/gpchailchowk-12 दिनांक-11.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चैल चौक के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसी-2024/15 दिनांक 19.10.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। जिसे अब आपके दिशा-निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(ग) ₹ 0.61 लाख के भुगतान बिलों को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे ।

ग्राम पंचायत चैल चौक विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी हि० प्र ० की अवधि 1.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 60384 के भुगतान बिलों को संबन्धित नस्ति में संलग्न नहीं किया गया था और न ही अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता	वाउचर संख्या / दिनाँक	शीर्ष	मद का नाम	टिप्पणी	भुगतान राशि (₹)
1	हिमुर्जा	xvfc/2022-23/p/50 दिनांक 24.05.2022	15वां वित्त आयोग	सोलर लाइट	बिल व वाउचर न दर्शाना	14384
2	हिमुर्जा	xvfc/2022-23/p/51 दिनांक 24.05.2022	15वां वित्त आयोग	सोलर लाइट	बिल व वाउचर न दर्शाना	18320
3	हिमुर्जा	xvfc/2022-23/p/53 दिनांक 26.05.2022	15वां वित्त आयोग	सोलर लाइट	बिल व वाउचर न दर्शाना	1000
4	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ	xvfc/2022-23/p/47 दिनांक 19.05.2022	15वां वित्त आयोग	सीमेंट बैग	बिल व वाउचर न दर्शाना	12470
5	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ	xvfc/2022-23/p/48 दिनांक 19.05.2022	15वां वित्त आयोग	सीमेंट बैग	बिल व वाउचर न दर्शाना	3190
6	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ	xvfc/2022-23/p/54 दिनांक 26.05.2022	15वां वित्त आयोग	सीमेंट बैग	बिल व वाउचर न दर्शाना	11020
						60384

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः DK/MANDI/SAD/2024/gpchailchowk-14 दिनाँक 14.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चैल चौक के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर अधियाचना संख्या जीपीसी2024/15 दिनांक 19.10.2024 द्वारा सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या दिनांक के अनुसार सूचित किया गया कि बिल प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा व इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं था । अतः भुगतान बिलों को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) मनरेगा निधि व अन्य अनुदान के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे ।

ग्राम पंचायत चैल चौक के अवधि 01-04-22 से 31-03-2023 तक के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि के व्यय वाउचरो की जांच में पाया गया कि मनरेगा निधि व अन्य अनुदान से चयनित माह 05/2022 व 02/2024 में मजदूरी मस्ट्रोलों के भुगतान का भुगतान किया गया था । जिसका मूल्यांकन माप पुस्तिका में किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में उक्त भुगतान के मूल्यांकन से संबन्धित अभिलेख माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । जोकि अनियमित व अनुचित प्रतीत होता है तथा साथ ही इस सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता कि पंचायत द्वारा उक्त भुगतान माप पुस्तिका में बिना मूल्यांकन के ही किया गया था । जिसके कारण उक्त कार्यो का पूर्ण अंकेक्षण संभव नहीं हो सका । अत: माप पुस्तिका को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये अन्यथा अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से कर के अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ङ) दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के मस्ट्रोल में उपस्थित पंचायत सदस्यों की उपस्थिति की जाँच पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के साथ करने पर पाया गया कि पंचायत सदस्यों की उपस्थिति सामान दिन में मनरेगा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक दोनों में दर्ज की गयी है जो कि अनियमित है | उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि	पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)
1.	मनीषा कुमारी	12105 अवधि 19.01.2024 से 01.02.2024	c/o land development near the house of pushpa devi	21.01.2024	21.01.2024 (ग्राम सभा)	0	240

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:- DK/MANDI/SAD/2024/gpchailchowk-14 दिनाँक 14.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चैल चौक के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसी2024/15 दिनांक 19.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड सदस्यों को दोहरा भुगतान किया गया था जिसे वसूल कर पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा व लेखापरीक्षा से अवगत करवाया जाएगा । अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) रॉयल्टी वसूली से प्राप्त ₹0.31 लाख की राशि को सरकारी कोष में जमा न करके व्यय करने बारे ।

ग्राम पंचायत चैल चौक विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी (हि० प्र ०) की अवधि 1/04/22 से 31-03-24 में चयनित माह 05/2022 व 02/2024 के अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा रॉयल्टी के रूप में कटौती की गयी **₹** 31916 की राशि को पंचायत में ही रखा गया था जबकि नियमानुसार उपरोक्त राशियों को सरकारी कोष में जमा किया जाना अपेक्षित था । पंचायत द्वारा इन राशियों को या तो खर्च कर दिया गया अन्यथा पंचायत निधि में ही रखा गया जोकि सरकारी धन के दुरुपयोग को दर्शाता है । जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**आपूर्तिकर्ता**	**वाउचर संख्या /बिल संख्या**	**शीर्ष**	**मद का नाम**	**कटौती की गयी रॉयल्टी (royality) (₹)**
1	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल	34/31.05.2022	सामान्य निधि	बोल्डर	6496

	चौक तहसील चचयोट जिला मण्डी				
2	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मण्डी	43/17.05.2022	15वां वित्त आयोग	रेत बजरी	2240
3	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मण्डी	050/18.03.2022	मानरेगा	रेत बजरी व पत्थर	4031
4	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मण्डी	068/18.03.2022	मानरेगा	रेत व बोल्डर	2080
5	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मण्डी	51/25.03.2022	मानरेगा	रेत बजरी व पत्थर	5947
6	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मण्डी	49/16.02.2022	मानरेगा	बोल्डर	4480
7	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मण्डी	069/15.03.2022	मानरेगा	रेत बजरी व पत्थर	6642
					31916

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः DK/MANDI/SAD/2024/gpchailchowk-14 दिनाँक 14.10.2024 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत चैल चौक के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसी2024/15 दिनांक 19.10.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रॉयल्टी से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करके व्यय किया गया था जिसे अब अंकेक्षण के सुझावानुसार वसूल करके संबन्धित विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दौहराया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके सरकारी कोष में जमा करने के पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10. **(क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार न रखा जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत /जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप "4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे । परन्तु ग्राम पंचायत चैल चौक द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	--	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
9	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
12	बिल रजिस्टर	13	48
13	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

11. **लघु आपति विवरणिका:**-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12. **निष्कर्ष:**-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 23.12.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

6247–6251 O/c
26 DEC 2024

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 113/2022 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत चैलचौक, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 23.12.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

O/c

परिशिष्ट-"क", पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णित पैरो का सार

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**विवरण**	**टिप्पणी**
1	पैरा-3	**निर्णीत**	अंकेक्षण शुल्क ₹7200 को ग्राम पंचायत द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 724764 दिनांक 24.08.2022 के माध्यम जमा करवा दिया गया है।
2	पैरा-4	पुन: प्रारूपित	
3	पैरा-4.1	पुन: प्रारूपित	
4	पैरा-4.2	पुन: प्रारूपित	
5	पैरा-4.3	अनिर्णीत	
6	पैरा-5	अनिर्णीत	
7	पैरा-6	अनिर्णीत	
8	पैरा-7	पुन: प्रारूपित	
9	पैरा-8	अनिर्णीत	
10	पैरा-8.1	अनिर्णीत	
11	पैरा-8.2	अनिर्णीत	
12	पैरा-8.3	अनिर्णीत	
13	पैरा-9	अनिर्णीत	
14	पैरा-10	अनिर्णीत	
15	पैरा-11	अनिर्णीत	
16	पैरा-12	अनिर्णीत	
17	पैरा-13	निर्णीत	क्रय सामाग्री को स्थायी स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 32 व 33 में दर्ज कर लिया गया है ।
18	पैरा-14	अनिर्णीत	
19	पैरा-15	अनिर्णीत	
20	पैरा-16	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	20
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	8
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	2
अवधि 01.04.20 से 31.03.2024 तक के अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	26

पैरा संख्या - 5(i)
परिशिष्ठ -(ख)

Financial position of own sources & grants in aid of Gram Panchyat Chail Chowk					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	3114782.44	6922619	10037401.44	5489352.2	4548049.24
2023-24	4548049.24	1974974	6523023.24	2339362	4183661.24

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चैल चौक
विकास खण्ड गोहर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

पैरा संख्या - 4 (iii)
परिशिष्ट - (घ)

Financial position of 14 th fc of Gram Panchyat Chail Chowk					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	225759.71	5641	231400.71	5500	225900.71
2023-24	225900.71	6376	232276.71	0	232276.71
Bank Reconicilation as on 31 03-2024					
Balance as per cash book					232276.71
Balance as per Pass book					**185982.71**
Net Difference					**46294**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चैल चौक
विकास खण्ड गोहर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

मद संख्या – 4(ii)
परिशिष्ठ – (ग)

(30)

Financial position of 15th fc of Gram Panchyat Chail Chowk					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	1338273.31	859348	2197621.31	1444844.16	752777.15
2023-24	752777.15	449702	1202479.15	312462.6	890016.55
Bank Reconicilation as on 31 03-2024					
Balance as per cash book					
add:-intt of ₹ 8354 added in pass book as on dated 04.09.23 but not taken in cash book, intt of ₹ 6785 added in pass book as on dated 06.12.2023 but not taken in cash book, intt of ₹ 7387 added in pass book as on dated 01.03.2024 but not taken in cash book			22526		**912542.55**
Balance as per Pass book					**963736.55**
Net Difference					**51194**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चैल चौक
विकास खण्ड गोहर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

31

बैंक समाधान विवरणी :-				
स्व स्रोत व अनुदान :-				
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष		5305954.50	
		जमा :- 15 वां वित्त आयोग की रोकड़ वही में ₹ 22526 का ब्याज दर्ज न करना	22526	5328480.5
	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष			5118600.36
		अन्तर की राशि		209880.14

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चैल चौक
विकास खण्ड गोहर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

मद संख्या- 4(v) परिशिष्ट घ -1

(32)

Financial position of SBM(PFMS) of Gram Panchyat Chail Chowk					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	0	321074	321074	321074	0
2023-24	0	317186	317186	317186	0

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चैल चौक
विकास खण्ड गोहर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

पैरा संख्या -6(क)-व (ख)

परिशिष्ट -(ड.)

33

Gram Panchayat Chail-Chowk					
House Tax					
Year	Opening	Demand	Total	Collection	Outstanding
2022-23	1295	30600	31895	30217	1678
2023-24	1678	30600	32278	250	32028

No. of families 612 and house tax rate @ 50.00 per household.

Shop Rent					
Year	Opening	Demand	Total	Collection	Outstanding
2022-23	9500	120000	129500	129500	0
2023-24	0	120000	129500	43895	85605

No. of Shops 05 rent @ 400.00/- PM, No. of Shops 16 @ 500.00/- PM and Community Hall @

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चैल चौक
विकास खण्ड गोहर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

पैरा संख्या 08(क)

परिशिष्ठ-(च)

ग्राम पंचायत चैल चौक

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल व वाउचर संख्या	मद का नाम	मात्रा CUM	भुगतान राशि
	सामान्य निधि				
1	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	150/29.02.2024	रेत	10.23	16368
2	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	150/29.02.2024	बजरी	2.04	3720
3	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	150/29.02.2024	बोल्डर	6.55	9243
	15 वां वित्त आयोग				
4	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	043/17.05.2022	रेत	3.00	4950
5	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	043/17.05.2022	बजरी	6.00	10500
6	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	044/17.05.2022	रेत	2.00	3300
7	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	044/17.05.2022	बजरी	4.00	7000
8	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	052/24.05.2022	रेत	2.00	3300
9	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	052/24.05.2022	बजरी	4.00	7000
	मनरेगा				
10	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	961/15.09.2023	बजरी	16.00	25600
11	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	961/15.09.2023	रेत	12.00	18600

30

12	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	971/15.01.2024	रेत	16.21	25125
13	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	971/15.01.2024	बजरी	30.70	49120
14	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	971/15.01.2024	बोल्डर	18.00	25020
15	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	970/15.01.2024	रेत	15.00	23250
16	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	970/15.01.2024	बोल्डर	44.00	61160
17	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	970/15.01.2024	बजरी	26.00	41600
18	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	975/12.01.2024	रेत	15.00	23250
19	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	975/12.01.2024	बजरी	30.00	48600
20	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	975/12.01.2024	बोल्डर	50.00	69500
21	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	972/15.01.2024	रेत	8.50	13175
22	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	972/15.01.2024	बजरी	17.00	27200
23	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	972/15.01.2024	बोल्डर	28.00	38920
24	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	974/22.01.2024	बजरी	10.62	16461
25	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	974/22.01.2024	रेत	10.62	16992
26	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	974/22.01.2024	बोल्डर	20.00	27800
27	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	778/20.12.2021	रेत	25.00	33095

31

28	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	778/20.12.2021	पत्थर	9.60	12251
29	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	779/22.12.21	बजरी	27.00	37028
30	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	775/28.12.21	रेत	8.00	10590
31	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	775/28.12.21	पत्थर	27.00	34457
32	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	776/01.01.22	रेत	13.92	18427
33	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	776/01.01.22	बजरी	1.60	2194
34	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	777/05.01.22	पत्थर	4.00	5104
35	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	011/24.08.21	रेत	19.00	27142.83
36	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	011/24.08.21	बजरी	38.00	56819.12
37	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	011/24.08.21	बोल्डर	17.00	21695.23
38	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	021/23.08.21	बजरी	15.00	22428
39	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	021/23.08.21	बोल्डर	17.00	21695
40	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	33/08.01.22	रेत	15.00	21429
41	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	33/08.01.22	बजरी	7.00	10467
42	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	33/08.01.22	बोल्डर	12.00	15314
43	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	34/06.02.22	बोल्डर	17.00	21695

44	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	34/06.02.22	रेत	8.00	11429
45	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	770/09.11.21	रेत	13.18	17447
46	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	770/09.11.21	बजरी	5.09	6980
47	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	770/09.11.21	बोल्डर	12.80	16335
48	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	771/09.11.21	रेत	13.18	17447
49	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	771/09.11.21	बजरी	5.09	6980
50	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	771/09.11.21	बोल्डर	12.80	16335
51	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	772/09.11.21	रेत	13.18	17447
52	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	772/09.11.21	बजरी	5.09	6980
53	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	772/09.11.21	बोल्डर	12.80	16335
54	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	736/29.08.21	रेत	13.00	17209
55	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	736/29.08.21	बजरी	5.00	6857
56	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	736/29.08.21	बोल्डर	19.00	24247
57	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	784/10.01.22	रेत	17.00	22504
58	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	784/10.01.22	बजरी	5.00	6857
59	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	784/10.01.22	बोल्डर	19.00	24247

60	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	767/10.08.21	रेत	8.00	10590
61	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	767/10.08.21	बजरी	16.56	22710
62	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	767/10.08.21	बोल्डर	3.33	4249
63	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	768/01.08.2021	रेत	8.00	10590
64	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	768/01.08.2021	बजरी	16.56	22710
65	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	768/01.08.2021	बोल्डर	3.33	4249
66	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	769/01.08.21	रेत	8.00	10590
67	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	769/01.08.21	बजरी	16.56	22710
68	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	769/01.08.21	बोल्डर	3.33	4249
69	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	730/01.08.2021	बोल्डर	10.00	12761
70	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	035/18.01.2022	बजरी	5.00	7476
71	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	035/18.01.2022	बोल्डर	21.00	26800
72	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	036/23.01.2022	बजरी	6.00	8971
73	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	036/23.01.2022	बोल्डर	21.50	27438
74	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	003/05.06.2021	रेत	3.50	4999
75	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	003/05.06.2021	बजरी	2.00	2990

35

76	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	003/05.06.2021	बोल्डर	4.50	5742
77	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	041/09.11.2021	रेत	14.00	19999.99
78	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	041/09.11.2021	बजरी	7.00	10465
79	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	041/09.11.2021	बोल्डर	13.00	16590
80	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	040/25.12.2021	रेत	14.00	19999.99
81	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	040/25.12.2021	बजरी	7.00	10465
82	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	040/25.12.2021	बोल्डर	13.00	16590
83	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	042/02.12.2021	बोल्डर	16.00	20419
84	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	023/10.11.2021	रेत	2.00	2857
85	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	023/10.11.2021	बजरी	4.00	5981
86	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	023/10.11.2021	बोल्डर	9.00	11486
87	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	002/05.06.2021	रेत	14.00	19999.98
88	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	002/05.06.2021	बजरी	7.00	10466.68
89	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	002/05.06.2021	बोल्डर	14.00	17866
90	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	12/27.08.2021	रेत	14.00	19999.98
91	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	12/27.08.2021	बजरी	7.00	10466.68

92	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	19/23.09.2021	रेत	3.00	4286
93	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	19/23.09.2021	बजरी	8.00	11962
94	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	19/23.09.2021	बोल्डर	35.00	44667
95	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	046/10.02.2022	रेत	6.00	8571.42
96	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	046/10.02.2022	बजरी	2.00	2990.48
97	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	046/10.02.2022	बोल्डर	10.00	12760
98	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	735/08.05.2021	रेत	7.00	9266
99	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	735/08.05.2021	बजरी	10.00	13714
100	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	735/08.05.2021	बोल्डर	20.00	25523
101	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	783/21.02.2022	रेत	12.00	15885
102	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	783/21.02.2022	बजरी	26.00	35657
103	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	783/21.02.2022	बोल्डर	10.00	12761
104	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	760/02.07.21	रेत	10.00	13238
105	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	760/02.07.21	बजरी	20.00	27428
106	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	760/02.07.21	बोल्डर	5.00	6380
107	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	763/03.07.2021	रेत	8.00	10590

108	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	763/03.07.2021	बजरी	14.00	19200
109	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	763/03.07.2021	बोल्डर	14.00	17866
110	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	765/04.07.2021	रेत	34.00	43390
111	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	761/06.07.2021	रेत	10.00	13238
112	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	761/06.07.2021	बजरी	28.00	27428
113	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	761/06.07.2021	बोल्डर	5.00	6380
114	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	764/09.07.2021	बोल्डर	34.00	43390
115	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	794/05.03.2022	रेत	8.30	10987
116	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	794/05.03.2022	बजरी	12.17	16690
117	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	794/05.03.2022	बोल्डर	8.16	10413
118	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	037/25.01.2022	रेत	15.00	21429
119	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	037/25.01.2022	बजरी	7.00	10467
120	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	037/25.01.2022	बोल्डर	12.00	15314
121	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	038/06.02.22	रेत	15.00	21429
122	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	038/06.02.22	बजरी	7.00	10467
123	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	038/06.02.22	बोल्डर	12.00	15314

124	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	039/10.02.2022	बोल्डर	17.00	21695
125	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	039/10.02.2022	रेत	8.00	11429
126	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	725/05.08.2021	रेत	45.00	59571
127	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	725/05.08.2021	बजरी	90.00	123428
128	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	734/23.07.2021	रेत	7.00	9266
129	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	734/23.07.2021	बजरी	6.00	8228
130	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	734/23.07.2021	बोल्डर	4.00	5104
131	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	782/21.02.2022	रेत	6.00	7443
132	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	782/21.02.2022	बजरी	2.00	2743
133	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	782/21.02.2022	बोल्डर	4.00	5105
134	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	759/06.07.21	रेत	4.64	6142
135	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	759/06.07.21	बजरी	0.90	1234
136	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	759/06.07.21	बोल्डर	10.43	1276
137	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	750/10.11.21	रेत	16.00	21180
138	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	750/10.11.21	बजरी	30.00	41142
139	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	750/10.11.21	बोल्डर	40.00	51047

140	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	048/16.03.2022	रेत	10.00	14952
141	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	048/16.03.2022	बजरी	10.00	14285
142	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	048/16.03.2022	बोल्डर	14.00	17867
143	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	069/15.03.2022	रेत	4.00	5714.28
144	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	069/15.03.2022	बजरी	10.00	14285
145	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	069/15.03.2022	बोल्डर	18.00	22971
146	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	054/18.03.2022	रेत	4.00	5714.28
147	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	054/18.03.2022	बजरी	8.00	11961.92
148	लंबरदार एंटरप्राइज़ गाँव घयन डाकघर चैल चौक तहसील चचयोट जिला मंडी	054/18.03.2022	बोल्डर	10.00	12761.9
					2703323.76

39